न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 56/2018 (2018/00101)

अपीलार्थी :–

करणाराम पुत्र श्री गोपाराम, जाति बिश्नोई, निवासी– ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. मोहनलाल पुत्र श्री गोपाराम,
2. पुरखाराम पुत्र श्री गोपाराम,
3. पोकरराम पुत्र श्री गोपाराम,

सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण– ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2015 जो उप तहसीलदार झंवर द्वारा क्रमांक भू0अ0/2015/714 में पारित करते हुए गांव धवां प्रथम, द्वितीय एवं राजेश्वर नगर में स्थित कृषि भूमि के विभाजन बाबत् स्वीकृति जारी की गई।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई (प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03)

–: आदेष :– दिनांक :– 12.10.2021

संक्षिप्त में अपील अपीलान्ट तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर उप तहसीलदार झंवर द्वारा आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े दिनांक 12.12.2015 को चुनौती इन कथनों के आधार पर दी है कि ग्राम धवा प्रथम तहसील लूणी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 470, 740, 943, 977, 1105, 987 कुल रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा ग्राम धवा द्वितीय में खसरा नम्बर 29 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम राजेश्वर नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested

में खसरा नम्बर 426 / 4 रकबा 18 बीघा, खसरा नम्बर 770 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा कुल 03 गांवों में 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसके खातेदार गोपाराम थे उनके स्वर्गवास पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण चारों पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हुई है। आगे यह कथन किया कि अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है जो बड़ी मुश्किल से अपने टूटे फूटे हस्ताक्षर करना जानता है इसके अलावा कुछ भी लिखना पढना नहीं जानते है। मोहनलाल जो पढा लिखा व हौशियार व्यक्ति है, सेना से सेवानिवृत है जिसने उक्त भूमि का विभाजन करना बताकर अपीलार्थी से उसके अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर खाली कागजों पर वर्ष 2015 में करवाये एवं बताया कि सभी चारों भाईयों की जमीन बराबर रखते हुए बंटवाड़ा करवाया जा रहा है। अपीलार्थी ने विश्वास कर लिया एवं कहे अनुसार हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान लगा दिया। आगे यह भी कथन किया कि हाल ही में वर्ष 2018 में ऐसा सुनने में आया कि प्रत्यार्थी पुरखाराम ने मोहनलाल को कुछ जमीन बेची है तो अपीलार्थी ने भी अपने पुत्र को भेजकर दिनांक 05.11.2018 को पटवारी से जमाबन्दी, नक्शे इत्यादी की नकले मंगवाई तो पुत्र ने पढकर बताया कि सम्पूर्ण भूमि के बंटवाड़ा किया गया है एवं अपीलार्थी के खाते में 27 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज है। अन्य के खाते में 27 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। इसके अलावा सड़क वाली भूमि अकेले पोकरराम के खाते में दर्ज है। अपीलार्थी ने सम्पूर्ण कागजात की नकले अपने पुत्र के जरिये दिनांक 13.11.2018 को निकलवाई, तब सम्यक रूप से ज्ञान हुआ। अन्त में अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने व तहसीदार को सुनवाई हेतु पुनः विभाजन किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिये समन तलब किया गया जिस पर प्रत्यार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने उपस्थित होकर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि पक्षकारों ने अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया है। खसरा नम्बर 426 तीन बराबर हिस्से की है बाकी भूमियों का भी आपसी रजामंदी से बंटवाड़ा हुआ है। अपीलार्थी करणाराम ने खसरा नम्बर 426 / 4 मौजा राजेश्वर नगर के बाबत करणाराम ने जरिये हकतर्कनामा दिनांक 19.02.2016 को हकतर्क किया जिसके बाबत एक सहमति पत्र भी स्टाम्प पर लिखकर दिया जिसमें कथन किया कि इस खसरे में [illegible] हिस्सा नहीं है। इस खसरे में 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 11 बिस्वा भूमि पुरखाराम के हिस्से की है। 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि पोकरराम के हिस्से की है तथा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि मोहनराम के हिस्से की है। इन दस्तावेज से अपीलार्थी की सहमति के कथनों को बल मिलता है अर्थात अपीलार्थी पर एस्टोपल का सिद्धान्त लागु होता है। हकतर्कनामे में साखें भी डाली हुई है। बंटवाड़ा जरिये एग्रीमेन्ट निष्पादित हुआ है। आगे यह भी कथन किया कि एग्रीमेन्ट पर गुणावगुण पर देखना का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। न केवल इतना ही बल्कि पूर्व में न्यायालय हाजा में पट्‌टे के बाबत विवाद हुआ था जहां निगरानी 1/2017 से 5/2017 तक इन्ही पक्षकारों के बीच प्रस्तुत हुई जिनमें न केवल अपीलार्थी करणाराम का पट्‌टा बल्कि अपीलार्थी की पत्नी के नाम के पट्‌टों को चुनौति दी थी। जहां स्वयं अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया एवं एक शपथ पत्र दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया जिस शपथ पत्र में बंटवाड़ा दिनांक 12.12.2015 को सही होना माना एवं न्यायालय हाजा में बंटवाड़े की कॉपी प्रस्तुत की। आगे यह भी बताया कि निगरानी संख्या 1/2017 व 2/2017 में अपीलार्थी करणाराम व अपीलार्थी की पत्नी समदु ने पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किये जिसमें बंटवाड़े के दस्तावेज 2017 में ही पेश कर दिये थे। लेकिन इस प्रार्थना पत्र में जानकारी वर्ष 2018 में होना बता रहा है जो प्रथम दृष्टया ही बनावटी है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है इसलिए किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने समस्त कथन वास्तविकता से परे जाकर अभिलिखित किये है। आगे यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने पैतृक आबादी भूमि में अपने भाईयों को नजरअंदाज कर पट्‌टे बनवाये जिनको न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब प्रतिशोध के रूप में यह अपील प्रस्तुत की है। बंटवाड़ा स्वयं प्रार्थी के देखरेख व निर्देशानुसार तैयार हुआ है। बंटवाड़े में जमीन कम–ज्यादा रह जाने पर प्रार्थी स्वयं ने हकतर्कनामें निष्पादित किये एवं फसल का मुआवजा भी खसरावार विवरण कर प्राप्त किया है। आगे यह भी बताया है कि अपीलार्थी के कथन सदभावी नहीं है। अपील म्याद बाहर है। अन्त में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को धोखे में रखकर बंटवाड़े पर अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर करवाये। अपीलार्थी को बंटवाड़े की जानकारी नहीं रही है। अपीलार्थी अशिक्षित व्यक्ति है। बंटवाड़े में चालाकी से अपीलार्थी के बंट में भूमि कम रखी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested

है। इसके विपरीत अभिभाषक प्रत्यार्थीगण ने कथन किया कि अपील क्षेत्राधिकारीता से बाधित है क्योंकि बंटवाड़ा जरिये एग्रीमेन्ट हुआ है। इकरारनामे के तथ्यों पर गौर करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। वैसे भी इस प्रकरण में स्वयं अपीलार्थी के कथनों के अनुसार विवादित तथ्यों का समावेश है। ''आया अपीलार्थी को धोखे में रखकर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये है''। यह तथ्य साक्ष्य का मोहताज है। बिना साक्ष्य सबूत इस तथ्य पर गौर नहीं किया जा सकता एवं जहां तक इकरारनामे का प्रश्न है। इकरारनामे के तथ्य भी साक्ष्य के मोहताज है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने पंचायत निगरानी संख्या 1/2017 में आदेश दिनांक 13.09.2018 की प्रति अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ पत्र, अपीलार्थी द्वारा निष्पादित हकतर्कनामा, अपीलार्थी द्वारा सहमति पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत किये गये बंटवाड़े का दस्तावेज पंचायत निगरानी में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्वयं अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों के बाबत भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया है एवं इन दस्तावेजात के आधार पर प्रत्यार्थी अभिभाषक ने अपील को म्याद बाहर होने के बाबत निवेदन किया है। अपनी बहस में यह भी बताया है कि अपीलार्थी पूर्व में किये गये कथनों से अब मुकर नहीं सकता तथा स्वैच्छापूर्ण निष्पादित दस्तावेजात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह भी बताया कि प्रार्थी विधि के एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है। अधिवक्ता प्रत्यार्थी ने 2020(1) सिविल कोर्ट केसेज, पृष्ठ संख्या 438 भी प्रस्तुत की है।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड व प्रस्तुत नजीरों का भी अध्ययन किया। अपील के गुणवगुण पर विचार करने से पूर्व धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी का कथन है कि माह नवम्बर 2018 के प्रथम सप्ताह में रेस्पोडेन्ट पुरखाराम ने रेस्पोडेन्ट मोहनलाल को जमीन बेचने पर अपीलार्थी ने भी अपने पुत्र को दिनांक 05.11.2018 को पटवारी से जमाबन्दी एवं नक्शे की नकले मंगवाई जाने एवं पुत्र द्वारा पढ़कर अपीलार्थी के हिस्से में बंटवाड़ा में कम भूमि आने पर दिनांक 13.11.2018 को बंटवाड़ा एवं नक्शें की नकलें प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीपक्ष ने जवाब में बतलाया कि पूर्व में न्यायालय हाजा में पट्टों के बाबत् पक्षकारान् में विवाद होने पर निगरानी संख्या 01/2017 से 05/2017 तक प्रस्तुत हुई जिनमें करनाराम व उसकी पत्नी समदुदेवी के नाम से जारी पट्टे की निगरानी में जवाब में स्वीकार किया कि आपसी रजामंदी से बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested

हो चुका है अतः निश्चित रूप से अपीलार्थी/प्रार्थी के ज्ञान में बंटवाड़ा रहा है। अप्रार्थीपक्ष के उक्त कथन का विरोध अपीलार्थी/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रही पंचायत निगरानी संख्या 01/2017 पोकरराम बनाम करनाराम वगैरा निर्णय दिनांक 13.09.2018 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 16.04.2018 को अपीलार्थी करनाराम ने शपथ–पत्र के साथ राजस्व भूमि का बंटवाड़ा दिनांक 12.12.2015 की फोटोप्रति पेश की। अतः हम अप्रार्थीपक्ष/रेस्पोडेन्ट पक्ष के इस कथन से सहमत है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को अपीलाधीन बंटवाड़े की जानकारी दिनांक 13.11.2018 को न होकर दिनांक 16.04.2018 को ही हो चुकी थी। अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ एवं साफ हाथों के साथ उपस्थित नहीं हुआ तथा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, परिणामस्वरूप अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested